

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक:- मुसप्र/ 2020/1033

दिनांक:- 05/01/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजना में ई-सबमिशन (E-submission)/बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित/नये 199 एवं 2005 अधिशेष आवासों/फ्लेटों को 0-25% एवं 0-50% छूट में 13 वर्ष की 156 मासिक किरातों में ई-सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव के माध्यम से निस्तारण की स्वीकृति कार्यालय आदेश क्रमांक राआम/मुसप्र/2020/824 दिनांक 01-12-2020 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक राआम/मुसप्र/2020/825 दिनांक 01-12-2020 के द्वारा प्रदान की गयी।

मण्डल के संचालक मण्डल की 244 वीं बोर्ड बैठक में निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संख्या 244.30 रखा गया। बैठक में प्रस्तावांनुसार राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में अधिशेष आवास/फ्लेटों (पूर्व में सम्मिलित/नये) को 0-25% एवं 0-50% स्लेब में ई-सबमिशन (E-Submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण हेतु लिए गये निर्णय की पालना में कार्योत्तर स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-.....राजस्थान आवासन मण्डल,
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0म0,
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक